



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2015/फाल्गुन 1, 1936

No. 413]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2015/PHALGUNA 1, 1936

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2015

का.आ. 577(अ).—भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् के साथ परामर्श के पश्चात् उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आगे निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः—
उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, उपर्युक्त 'डिग्रीज' के तहत—
(क) क्रम संख्या 72 के और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या व प्रविष्टिय स्थानापन्न की जायेगी, नामतः—

1	2	3
"72. संघटक पशुचिकित्सा महाविद्यालय, हैदराबाद, तिरुपति तथा गन्नावरम के संबंध में श्री वेंकटेश्वरा पशुचिकित्सा महाविद्यालय/पशुचिकित्सा विज्ञान कॉलेज, प्रोद्वातूर पशुचिकित्सा विज्ञान कॉलेज, कोरतुला	पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक 	बी.वी.एससी. और ए.एच. (यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी जाएगी, जब यह 01 अप्रैल, 2006 को अथवा इसके बाद प्रदान की गई हो।) बी.वी.एससी. और ए.एच. (यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी जाएगी, जब यह 05 अक्टूबर, 2013 को अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।) बी.वी.एससी. और ए.एच. (यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी जाएगी, जब यह 05 अक्टूबर, 2013 को अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)"

